<u>कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग अलवर</u>

क्रमांक/खअ/अल/ स्टोर /2025/ दिनांक

<u>सीमित बोली सूचना</u>

कार्यालय खनि अभियंता अलवर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भौतिक पत्रावलियो को ई- फाइल में कन्वर्ट करने के लिए प्रष्ठो को स्कैन करने के कार्य हेतु सीमित बोली आमंत्रित कि जाती है । इस कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म / व्यक्ति/ संस्था अपनी दरे सील बंद लिफाफे में कार्यालय में दिनांक 10.03.25 को 1.00 पी.एम. तक प्रस्तुत कर सकते है । प्राप्त बोलियों को उसी दिन सांय 5.00 पी.एम. पर इस कार्यालय कि उपापन समिति द्वारा खोला जावेगा ।

स्कैन किये जाने वाले कागजो का विवरण जिसकी दर प्रस्तुत कि जानी है निम्नानुसार है –

क्र.स.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरे (अंको में) जी.एस.टी. सहित (प्रति पृष्ठ)	प्रस्तुत दरे (शब्दों में) जी.एस.टी. सहित (प्रति पृष्ठ)
1.	Scanning of pages (size legal)		
2.	Scanning of pages (size A4)		
3.	Scanning of pages (size A3)		
4.	Scanning of pages (size large map)		

निविदा की शर्ते निम्नानुसार है -

1. बोलीदाता को पैन से लिखी हुई दर एफ.ओ.आर. कार्यालय खनि अभियंता अलवर में प्रस्तुत करनी होगी।
2. बोलीदाता को अपनी बिड के साथ जी.एस.टी. पंजीयन, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
3. सफल बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर 500/- के नॉन ज्युडीशल स्टाम्प पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा ।
4. वित्तीय बोली प्रपत्र में निर्धारित कॉलम में दरे अंकित करनी होगी ।
5. बोलीदाता फर्म को कार्यालय खनि अभियंता अलवर द्वारा स्थान एवं विधुत उपलब्ध करायी जावेगी । फर्म द्वारा स्वयं कि मशीन सम्बंधित शाखा के कमरों में लगाकर स्कैनिंग का कार्य करना होगा । स्कैन की गयी पत्रावली की पहचान हेतु पत्रावली क्रमांक व पृष्ठ संख्या डालकर save करनी होगी ।
6. बोलीदाता फर्म को विभाग के अधिकारी / कर्मचारी से मांग पत्र के अनुसार स्कैनिंग कार्य करना होगा तथा मांग पत्रों को एकत्र कर बिल के साथ तिथिवार विवरण के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा ।
7. कार्यालय द्वारा राशी रूपये 2.00 लाख तक का कार्य कराने का अनुमान है । उक्त कार्य 31.03.2025 तक सम्पादित किया जाना है ।
8. बोलीदाता फर्म को स्थान उपलब्ध करा दिया जावेगा परन्तु मशीन कि चोरी एवं मशीन के नुक्सान हेतु विभाग कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. सही प्रकार से स्कैनिंग कार्य होने पर सम्बंधित प्रभारी अधिकारी से सत्यापन प[illegible] किया जावेगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.03.04 10:42:13 IST
Reason: Approved

10. शाखाओ से प्राप्त पत्रावलियो को स्कैन के लिए खोली जाने के पश्चात पुनः बंधने कि जिम्मेदारी फर्म की होगी ।
11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
12. अवकाश कि अवस्था में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी ।
13. फर्म के बिल से नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य कटौतिया की जावेगी ।
14. उक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 लागू रहेंगे ।
15. किसी भी बिड को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

खनि अभियंता
अलवर

क्रमांक/खअ/अल/ स्टोर /2025/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर ।
2. श्रीमान नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
3. उपापन समिति सदस्य ....कार्यालय हाज़ा को उपापन कार्यवाही के संपादन हेतु सूचनार्थ प्रेषित है ।
4. सहायक प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को SPPP पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावे ।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
6. फर्म ....

खनि अभियंता
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.03.04 10:42:13 IST
Reason: Approved